न्यायालय अति.संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी ओ.पी.बिश्नोई, आर.ए.एस.

अपील संख्या 67/2023 एल.आर. एक्ट (GCMS No 2023/54)

पतराम पुत्र स्व. हरिराम जाति बावरी, निवासी चक 87 जी.बी. तहसील अनूपगढ, जिला श्रीगंगानगर।

अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये राजकीय अभिभाषक
2. मुखराम पुत्र स्व. श्री हरिराम, जाति बावरी, निवासी चक 87 जी.बी. तहसील अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर।

रेस्पोडेंट

उपस्थितः 1. श्री गगन मोदी – अभिभाषक अपीलान्ट
2.श्री मोहम्मद इम्तियाज अली – राजकीय अभिभाषक

निर्णय **दिनांकः 15.02.2024**

1. यह अपील भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत तहसीलदार (भू.अ.) अनूपगढ के निर्णय दिनांक 06.02.2018 के विरूद्ध पेश हुई है।
2. अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने तहसीलदार (भू.अ.) अनूपगढ के प्रकरण संख्या 3/2017 अनवान मुखराम बनाम पतराम के आदेश दिनांक 06.02.2018 के विरूद्व अपील प्रस्तुत कर **आदेश** दिनांक 06.02.2018 को निरस्त कर दिनांक 22.06.2015 के आदेश को बहाल रखते हुए इंतकाल अपीलान्ट के नाम दर्ज करने का अनुतोष चाहा गया है।
3. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर, रेस्पोडेन्ट के निमित सम्मन जारी किये गये तथा अधीनस्थ का रिकार्ड तलब किया गया।
4. अपीलांट के विद्वान अभिभाषक ने अपील मीमो मे अंकित बिन्दुओं को दौहराते हुए बहस के दौरान कहा कि स्व.सरदाराराम जो कि अपीलाट व रेस्पोडेन्ट सं. 2 के दादा थे, उन्होने अपने स्वअर्जित कृषि भूमि चक 87 जी.बी तहसील अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर के मुरब्बा नं. 25 की 18 बीधा 12 बिस्वा भूमि की वसीयत दिनांक 02.12.1995 को उप पंजीयक अनूपगढ के यहा अपने पुत्र अर्जुनराम, हरिराम, गणपतराम के नाम करवायी। उनकी मृत्यु के बाद वसीयत

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
बीकानेर

के अनुसार इन्तकाल सं. 181 दिनांक 10.12.2003 को दर्ज हुआ। अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट के पिता हरिराम ने उनके नाम जरिये वसीयत हुई भूमि की रजिस्टर्ड वसीयत दिनांक 16.05.2014 को अपीलान्ट के नाम कर दी, वसीयत के अनुसार अपीलान्ट के नाम इन्तकाल दिनांक 22.06.2015 को दर्ज हुआ। इस इंतकाल के विरूद्व रेस्पोडेन्ट सं. 2 ने एक अपील अति.कलेक्टर सूरतगढ के यहा पेश की, जिसे उन्होने अपने निर्णय दिनांक 11.02.2016 द्वारा दोनो पक्षो को सुनकर निर्णय करने के आदेश दिया। इस पर मातहत अदालत ने दोनो पक्षो को सुनकर अपने निर्णय दिनांक 06.02.2018 को विरासतन इन्तकाल दर्ज करने के आदेश दिया है जो निरस्त योग्य है। मातहत अदालत ने अपने निर्णय मे यह अंकित किया है कि यह भूमि पैतृक है, उसके पिता से प्राप्त हुई है, इसलिए उसकी स्वअर्जित भूमि न होकर पैतृक सम्पति मानी जायेगी। स्व. हरिराम को वसीयत मे आई भूमि का वसीयत करने का अधिकार नही था। मातहत अदालत ने इस तथ्य पर गौर नही किया कि पिता द्वारा वसीयत/दान/विक्रय करने के बाद वह भूमि पैतृक ना होकर स्वअर्जित भूमि मानी जावेगी। अगर विवादस्त भूमि को पिता की भूमि मानते तो उक्त भूमि सरदाराराम के तीनो पुत्रो को बहिस्सा बराबर प्राप्त होती । इस तथ्य पर अनदेखी कर जो निर्णय दिया है, व निरस्त किये जाने योग्य है। अगर रजिस्टर्ड वसीयत संदिग्ध है तो रेस्पोडेन्ट नं. 2 को सक्षम न्यायालय में उसे निरस्त करने की कार्यवाही करनी चाहिए थी, जो उसके द्वारा नही की गई और ना ही कोई फौजदारी प्रकरण दर्ज हुआ। अतः अपील स्वीकार कर मातहत अदालत तहसीलदार अनूपगढ के निर्णय दिनांक 06.02.2018 को निरस्त किया जावे व दिनांक 22.06.2015 के आदेश को बहाल रखते हुए इंतकाल अपीलान्ट के नाम दर्ज किये जाने के आदेश दिया जावे।

5. राजकीय अभिभाषक ने बहस के दौरान कहा कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय सही है अतः अपीलान्ट की अपील खारिज की जावे।

6. हमने विद्वान अभिभाषकगणो की बहस पर मनन करते हुवे उपलब्ध दस्तावेजात, एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यानपूर्वक

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
बीकानेर

अवलोकन/ विश्लेषण किया। प्रस्तुत अपील तहसीलदार (भू.अ.) अनूपगढ के निर्णय दिनांक 06.02.2018 के विरूद्व पेश की गई है जिसमें उक्त भूमि का विरासतन इंतकाल जायज वारिसान के नाम दर्ज करने के आदेश दिये गये है। पत्रावली के अवलोकन से पाया कि तहसीलदार (भू.अ.) अनूपगढ के प्रकरण संख्या 35/2015 अनवान पतराम बनाम मुखराम निर्णय दिनांक 22.06.2015 के विरूद्व रेस्पोडेन्ट सं. 2 मुखराम द्वारा अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ में अपील सं. 62/2015 मुखराम बनाम पतराम अपील प्रस्तुत की गई। अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ द्वारा उक्त अपील में अपने निर्णय दिनांक 11.02.2016 द्वारा तहसीलदार अनूपगढ के निर्णय दिनांक 22.06.2015 को निरस्त कर प्रकरण को रिमाण्ड किया गया। जिसकी अनुपालना में तहसीलदार (भू.अ.) अनूपगढ द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनाक 06.02.2018 पारित किया गया। अपीलान्ट द्वारा अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ के निर्णय दिनांक 11.02.2016 के विरूद्व कोई अपील पेश नही की गई। इसके अलावा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध पटवारी रिपोर्ट का अनुसरण किया गया। "राजस्व जबाबन्दी चक 87 जी. बी सम्वत् 2069–2072 के खाता संख्या 90 पर मु. नं. 25 पं नं. 289/425 कि. नं. 12 ता 25 में कुल 3.366 हैक्टेयर नाली दोयम भूमि हरीराम पुत्र सरदारा राम जाति बावरी सा. देह के नाम से खातेदारी दर्ज है। मृतक खातेदार हरी राम को वसीयत सम्बन्धी उक्त रकबा अपने पिता से जरिए वसीयत ईन्तकाल संख्या 127 स्वीकृत दिनांक 10.12.2003 को प्राप्त हुआ। उक्त ईन्तकाल द्वारा अन्य वारिसो को भी रकबा प्राप्त हुआ।" तहसीलदार (भू.अ.) अनूपगढ के निर्णय दिनांक 06.02.2018 अनुसार चूंकिः उक्त भूमि हरीराम की स्वय अर्जित न होकर अपने पिता से वसीयत मे प्राप्त हुई थी, अतः उक्त भूमि को हरीराम आगे वसीयत करने का अधिकार नही रखता है। उक्त तथ्यो के मध्यनजर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.02.2018 में हस्तक्षेप की गुजाईश प्रतीत नही होती है। अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.02.2018 को यथावत रखा जाता है।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
बीकानेर

तदनुसार अपील निर्णित शुमार हो। पत्रावली नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद तरतीब, तकमील दाखिल दफ्तर रहे। निर्णय आज दिनांक 15.02.2024 को लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(ओ.पी.बिश्नोई)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
बीकानेर